पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.744

थाना कांड सं.-29 वर्ष-2014 थाना-अतरी जिला-गया

==========

अरूण राम, गुलाब चंद राम के पुत्र, निवासी-ग्राम-तौसा, थाना- अतरी, जिला- गया

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

भारतीय दंड संहिता-धारा.302, शस्त्र अधिनियम-धारा.27-पिस्तौल से हत्या के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया-स्टेशन डायरी में दर्ज नहीं किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख में नहीं लाया गया-चश्मदीद गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में प्रमुख विरोधाभास-अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अभिलेख में नहीं लाई गई-न तो खून से सनी हुई मिट्टी एकत्र की गई और न ही केस डायरी में संदर्भ दिया गया-अपीलार्थी द्वारा उपयोग की गई कथित पिस्तौल और न ही घटना स्थल पर न तो खाली कारतूस जब्त किए गए-घटना स्थल पर हड्डी में आग लगने का कोई संकेत नहीं मिला। चिकित्सा साक्ष्य सूचनादाता द्वारा दिए गए कथन का समर्थन नहीं करता है-अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा-इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया और खारिज कर दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं.744

थाना कांड सं.-29 वर्ष-2014 थाना-अतरी जिला-गया

==========

अरूण राम, गुलाब चंद राम के पुत्र, निवासी-ग्राम-तौसा, थाना- अतरी, जिला- गया

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता
श्री बिंदेश्वरी सिंह, अधिवक्ता
श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

==========

कोरम: माननीय श्री जस्टिस विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय श्री न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली)

तिथि- 04-03-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2014 के अत्री थाना मामला संख्या 29 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या (एस. जे.)/(28/2017) में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 1**st**, गया द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले दिनांक 25.04.2017 और सजा के आदेश दिनांक 03.05.2017 को चुनौती दी गई है, जिसमें संबंधित निचली अदालत ने वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, शस्त्र अधिनियम की

धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कठोर कारावास गुजरने की सजा के साथ 10,000/- (दस हजार) रूपये के जुर्माने सुनाई हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, उसे एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा होगी और 7 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 10, 000/- शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, वह आगे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरेगा।

2. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

2.1 सूचना देने वाली अनीता देवी का *फर्दब्यान* 31.01.2014 को 20:30 बजे दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने कहा है कि, 31.01.2014 को लगभग 10:00 बजे सुबह, तेउसा बाजार अत्रि रोड पर, उनके मजदूर इमारत बनाने के लिए नींव खोद रहे थे। फिर, सूर्यमणि राम आया और उसके मजदूरों से पूछा कि वे उसके लिए क्यों काम कर रहे हैं और उन्हें दूसरी जगह काम करने की धमकी दी। फिर उसने कहा कि शाम को वह जागेश्वर राम और उसके पुत्र उपेंद्र राम को मार देगा और तभी यह स्थायी रूप से हल हो जाएगा। यह जानकारी उसे उसके मजदूर ने दी थी। उसी शाम, लगभग 06:30 बजे अपराह्न वह अपने पति उपेंद्र राम, अपने ससुर जागेश्वर राम और अपने छोटे पुत्र जौनसन कुमार के साथ दरवाजे पर अलाव जला रही थी जब 1.प्रकाश राम, 2.सुनील राम, 3.अनुज राम, 4.अरुण राम, 5.चिंटू राम, 6.सुरेंद्र राम, 7.महेंद्र राम, 8.श्री चंद राम, 9.सूर्यमणि राम, 10.तारा मणि राम और 11.गुड्डू कुमार सभी सर्वसम्मति से हथियारों और गोला-बारूद से लैस होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। तब प्रकाश राम ने गोली चलाने के लिए कहा जिस पर अरुण राम ने पिस्तौल से उसके पति के कनपटी पर गोली चला दी और उसे मार डाला। इन सभी लोगों ने उसे और उसके ससुर, जागेश्वर राम और उनके पुत्र को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वे घर के अंदर भाग गए और अपनी जान बचाई। गोली की आवाज सुनकर कई लोग वहां जमा हो गए। लोगों को इकट्ठा होते देख वे सभी दक्षिण की ओर भाग गए।

2.2.उक्त *फर्दब्यान* के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी 31.01.2014 को पंजीकृत किया गया। प्राथमिकी के पंजीकरण के बाद, जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित दंडाधिकारी अदालत के समक्ष अपीलार्थी/आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने इसे सत्र

न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र मामला सं. 415/2015 (**S. J.**)/28/2017 के रूप में दर्ज किया।

3. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष 15 गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद, आरोपी का आगे का बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद, निचली अदालत ने विवादित फैसला और आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

4. विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर को मोहम्मद इम्तियाज अहमद की सहायता से श्री बिंदेश्वरी सिंह, श्री विनोद कुमार और श्रीमती वैष्णवी सिंह को अपीलार्थी की ओर से सुना और प्रतिवादी-राज्य की ओर से श्री सुजीत कुमार सिंह ने विद्वान स.लो.अभि.को।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अजय ठाकुर ने शुरुआत में कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में और विशेष रूप से सूचना देने वाली अनीता देवी द्वारा दिए गए बयान में बड़े विरोधाभास हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि *फर्दबयान* में, मुखबिर ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाया था और अभियुक्त प्रकाश राम के खिलाफ आगे आरोप लगाया था कि उसने उपेंद्र राम यानी मुखबिर के पति को मारने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार, अभियुक्त अरुण राम (यहाँ अपीलकर्ता) ने कनपटी के पास अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और उक्त घटना में मुखबिर के पति की मृत्यु हो गई। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत के समक्ष बयान देते समय, अभि.सं.-10 अनीता देवी के पास दो अभियुक्तों यानी एक चिंटू के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने मुखबिर के पति को मारने का आदेश दिया था और इसलिए, वर्तमान अपीलार्थी को इस माथे के कनपटी में गोली मार दी गई थी। इस प्रकार, सूचना देने वाले के बयान में एक बड़ा विचलन होता है और इसलिए, ऐसे गवाह पर भरोसा करना असुरक्षित है।

5.1.इस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि, निश्चित रूप से, घटना की जानकारी गाँव के लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी। हालांकि, उक्त जानकारी स्टेशन डायरी में दर्ज/दर्ज नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त जानकारी को अभिलेख में नहीं लाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु समीक्षा भी अभिलेख में नहीं लाई जाती है। इसके बाद, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभि०ग०-14 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, घटना सूचना देने वाले के घर के पास नहीं, बल्कि चौराहे पर हुई थी। इसलिए, घटना का स्थान भी अलग है। यहां तक कि जांच अधिकारी द्वारा घटना स्थल पर कथित रूप से पाए गए रक्त के धब्बों का भी केस डायरी

में उल्लेख नहीं है। विद्वान वकील श्री अजय ठाकुर इसके बाद प्रस्तुत करेंगे कि जिस पिस्तौल का कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा उपयोग किया गया था, उसे जांच एजेंसी द्वारा जब्त नहीं किया गया था। यहां तक कि खाली कारतूस भी घटना स्थल से नहीं मिले थे और घटना स्थल पर अलाव का कोई संकेत नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी ने घटना स्थल से कोई खून से सनी मिट्टी एकत्र नहीं की है।

6. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद **मोदी 'ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी' के सत्ताईसवें संस्करण** और अधिक का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से उक्त पुस्तक के **पृष्ठ संख्या 724** का उल्लेख किया गया है। विद्वान वकील ने चोट के संबंध में उक्त विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय का उल्लेख किया है जो तब पाया जा सकता है जब गोलीबारी निकट दूरी से की जाती है।

7. विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा हैः

(i) **राजा राम बनाम राजस्थान राज्य, (2005) 5 एस. सी. सी. 272** में सूचित।

(ii) **मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2005) 5 एस. सी. सी. 258** में रिपोर्ट किया गया।

((iii) **जावेद मसूद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य**, **ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 979** में सूचित।

(iv) **आस्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 14 एस. सी. सी. 448** में रिपोर्ट किया गया।

(v) **विरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 3373** में रिपोर्ट किया गया।

8. इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, तो उसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करके और खारिज करके बरी किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर विद्वान स० लो० अभि० ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने प्रश्नगत, उसके ससुर और उसके दो बेटों के साथ-साथ एक किरायेदार पीडब्लू-6 मोहम्मद अमीन अंसारी इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है

कि चिकित्सा साक्ष्य भी सूचनादाता द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करता है और इसलिए, जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर देता है, तो विवादित आदेश पारित करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की जाती है।

10. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और कागजी-पुस्तक और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को देखने के बाद, यह सामने आएगा कि अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष 15 गवाहों से पूछताछ की थी।

11. अभि०ग० 1 अजय कुमार उर्फ प्रसाद के साथ-साथ अभि०ग०-4 उमेश चौधरी, जो स्वतंत्र गवाह हैं, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी तरह, अभि.सं-2 कमलेश पंडित और पीडब्लू-3 गोरेलाल विश्वकर्मा ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये चार गवाह स्वतंत्र गवाह हैं। इसी तरह, अभि.सं-7 बीरेंद्र चौधरी, जो एक स्वतंत्र गवाह और सह-ग्रामीण भी हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन नहीं किया है। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला निकट रिश्तेदारों और इच्छुक गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर निर्भर करता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इच्छुक गवाहों के बयान को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वे रिश्तेदार या इच्छुक गवाह हैं। हालांकि, उनके बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

12. अभि.ग०-10 अनीता देवी मृतक की पत्नी और वर्तमान मामले की मुखबिर हैं। उनके *फ़र्दबयान* में, जो 20:30 बजे दर्ज किया गया थाः कथित घटना के लिए जो लगभग 06:30 बजे शाम को हुई उसने कहा कि उसने यह आरोप लगाते हुए 11 लोगों का नाम लिया था कि सभी 11 लोग घटना स्थल पर यानी उनके घर आए थे। उसने कहा है कि हथियार और गोला-बारूद से लैस सभी व्यक्ति उसके घर पहुंचे और एक प्रकाश राम ने अरुण राम को उपेंद्र कुमार और उसके बाद आरोपी अरुण राम ने मुखबिर के पति को गोली मारकर मार डाला। उन्होंने उस समय आगे कहा है कि उनके ससुर जागेश्वर राम और उनका पुत्र जौनसन मौजूद थे। हालांकि, वे तुरंत अपने घर के अंदर गए और अपनी जान बचाई। इसके बाद, गोलीबारी की आवाज सुनकर कई लोग इकट्ठा हो गए और लोगों को इकट्ठा होते देखकर वे सभी घटना स्थल से भाग गए।

12.1.हालांकि, इस स्तर पर, अभि.ग०-10 (सूचना देने वाले) के बयान को सावधानीपूर्वक देखा जाता है। उन्होंने कहा है कि उनका एक और पुत्र रौशन और

किरायेदार मोहम्मद। अमीन अंसारी भी घटना स्थल पर मौजूद थे। उसने कहा है कि 11 लोग उत्तर की ओर से आए थे, जिनमें से वह चिंटू राम और अरुण राम (अपीलार्थी) सहित केवल दो व्यक्तियों को पहचान सकी। इसके बाद, चिंटू ने उपेंद्र कुमार को मारने के लिए कहा और इसलिए, अरुण राम यानी अपीलार्थी ने उसके पति को उसके बाएं कनपटी के पास पिस्तौल से गोली मार दी, जिसके कारण वह गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर आ गए। इसलिए आरोपी उक्त स्थान से भाग गया। मुख्य परीक्षा में, अभि.ग०-10 ने विशेष रूप से कहा है कि अरुण राम और चिंटू राम को छोड़कर, वह किसी को भी नहीं पहचान सकी और *दारोगाजी* ने उसे *फर्दब्यान* नहीं पढ़ा। उन्होंने विशेष रूप से जिरह के दौरान कहा है कि, अपने *फ़र्दब्यान* में या अपने आगे के बयान में, कि प्रकाश राम ने गोली मारने का आदेश नहीं दिया था, सिवाय दो अन्य अभियुक्तों के जिन्होंने अपने चेहरे मफलर से ढक लिए थे। उसने यह भी कहा है कि घटना स्थल पर खून बह रहा था।

13. अभि०ग०-5 जौनसन कुमार ने कहा है कि उनके पिता गुलाब चंद और जागेश्वर राम के बीच भूमि विवाद था। अरुण राम गुलाब चंद के पुत्र हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और किस पक्ष में मामला था। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के बाद अमीन अंसारी, उनके पुत्र फखरुद्दीन अंसारी और लगभग 40-50 ग्रामीण आए।

14. अभि०ग०-6 मो. अमीन अंसारी ने कहा है कि उसके और जागेश्वर राम के बीच मालिक और किरायेदार का संबंध है। उन्होंने कहा है कि जागेश्वर राम और अनुज राम परिचित हैं। उन्होंने कहा है कि वह दूसरों के साथ अलाव से खुद को गर्म कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों की पहचान नहीं की जिन्होंने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा था। उन्होंने कुछ लोगों की पहचान की लेकिन उन्होंने भी अपने चेहरे को मफलर से ढक लिया था। उन्होंने आगे कहा है कि बंदूक से केवल एक गोली चलाई गई थी। उपेंद्र का कपड़ा खून से लथपथ था और वह मिट्टी पर गिर गया। उन्होंने *दारोगाजी* को घटना का स्थान नहीं दिखाया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चिंटू ने गोली मारने का आदेश दिया था। उपेंद्र और अरुण ने उसे कनपटी के पास गोली मार दी। अपनी जिरह में, उसने कहा है कि सभी आरोपी व्यक्ति गाँव में रहते हैं और वह अरुण और चिंटू को छोड़कर अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सका।

15. अभि०ग०-8 जागेश्वर राम ने कहा है कि घटना के दिन, वह अन्य लोगों, उपेंद्र राम, जौनसन, रौशन, अमीन अंसारी और अनीता देवी के साथ अलाव जलाकर

खुद को गर्म कर रहे थे। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि घटना के बाद पप्पु राम, अमीन अंसारी आदि आए थे। वे उत्तर से आए और बाईं ओर गोली चलाई। घटना के बाद गाँव के 10 20-50 लोग जमा हो गए। केवल 11 अभियुक्तों के नाम पुलिस को नहीं बताए गए थे। वह अनीता के बयान के साथ वहां थे। अनीता ने पुलिस को केवल दो अभियुक्तों के नाम बताए। उसने और अनीता दोनों ने पुलिस को सभी 11 अभियुक्तों के नाम बताए।

16. अभि०ग०-14 पप्पू राम @पप्पू कुमार ने कहा है कि वह बाजार चौराहे पर थे और उन्होंने देखा कि उपेंद्र राम के माथे पर गोली लगी थी। उसने न तो सुना था और न ही देखा था कि उसे किसने गोली मारी थी। वह अभियुक्तों की भी पहचान करता है जो अरुण राम और सुरेंद्र राम हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि चौराहे 5-6 ब्लॉक की दूरी पर स्थित था। यह भी कहा जाता है कि उपेंद्र राम के परिवार के सदस्य भी आए थे लेकिन किसी ने हत्यारे के नाम का खुलासा नहीं किया।

17. अभि०ग०-15 रौशन कुमार ने कहा है कि कुल 11 लोग उत्तर से आए थे जिनमें से वह दो को पहचानते हैं अर्थात अरुण राम और चिंटू राम। चिंटू राम ने उपेंद्र राम को चुनौती दी और उसे मारने के लिए गाली दी। इस बीच, अरुण राम ने बाएं कनपटी में उपेंद्र राम पर पिस्तौल से गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई और सभी लोग दक्षिण की ओर भाग गए। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाकी लोगों को नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि घटना शुरू होने से पहले आधे घंटे से आग जल रही थी।

18. अभि०ग०-9 डॉक्टर सुनील कुमार प्रसाद डॉक्टर हैं, जो एफ. एम. टी. ए.एन.एम.सी.गया विभाग में तैनात थे ने उपेंद्र राम का *पोस्टमार्टम* किया था और निम्नलिखित चोटें पाई थीः

> "जगह-जगह खून और धूल से सना हुआ औसत शरीर और कपड़े। आर. एम. = शरीर के चारों ओर उपस्थित आंखें = बंद और सफेद। मुँह = बंद, जीभ अंदर।
>
> (1) 1 से. मी. **x** 1 से. मी. आकार का आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव टी. कशेरुका से 7 से. मी. ऊपर मध्य रेखा के पास निचले पश्चवर्ती क्षेत्र के बाई ओर गहरा और 3 से. मी. उल्टा और टैटू के साथ अनियमित मार्जिन के साथ मध्य रेखा के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रवेश घाव को 15 सेमी **x** 08 सेमी **x** कपाल गुहा के आकार के निकास घाव के साथ संचारित किया जाता है। दाएँ पार्श्विक क्षेत्र से मंडाइल के दाएँ कोण तक गहराई में बाहर निकलने वाले घाव का निशान अनियमित, नुकीला और नरम ऊतक और मस्तिष्क के ऊतकों के बहिष्करण के साथ दूषित होता है। प्रवेश घाव से प्रक्षेप्य का पथ रास्ता अंदर की ओर, आगे और ऊपर की ओर दाहिने परिएटो-टेम्पोरल क्षेत्र की ओर होता है।

सिर के आगे विच्छेदन पर- सिर स्काल्पः- दायें अग्र-पार्श्वीय और कनपटी क्षेत्र पर आंतरिक रूप से दूषित। अंतर्निहित हड्डियों के टूटने के साथ, बाईं निचली पश्चक हड्डी भी टूट जाती है। मस्तिष्क = कपाल गुहा में रक्त और रक्त के थक्के होने से दूषित और घाव। घाव से कोई प्रक्षेप्य या उसके भाग बरामद नहीं किए जा सके जो बाहर निकलने वाले घाव के माध्यम से चला गया प्रतीत होता है।

रायः- (1) चोटें आग्नेयास्त्र हथियार के कारण होने वाली पूर्व-मृत्यु होती हैं।

(2) मृत्यु आग्नेयास्त्र चोट के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है।

(3) मृत्यु के बाद का समय = 06 से 24 घंटे। (लगभग) परीक्षण के समय से। .

19. अभि०ग०-12 हृदयानंद राम जाँच अधिकारी हैं जो 31.01.2014 पर अतरी थाना में तैनात थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें मौके पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। उन्होंने गवाह जागेश्वर राम, जौनसन कुमार, सुदामा देवी का बयान लिया। उसके बाद उन्होंने घटना का समर्थन करने वाले उमेश चौधरी और अरुण प्रसाद का बयान लिया। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि अवर निरीक्षक सुमंत कुमार अंकित ने *फर्दब्यान* को दर्ज किया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 31.01.2014 से 13.03.2014 तक इस मामले की जांच की थी। वह उस गाँव में गया जहाँ यह घटना हुई थी। उन्होंने *सनहा* को पंजीकृत नहीं किया। हत्या की सूचना मिलने पर वापस आते ही *सनहा* के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यह भी कहा गया है कि घटना स्थल पर बहुत खून बह गया था लेकिन उन्होंने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है। आग या अलाव नहीं मिला। यहां तक कि एक खाली कारतूस भी नहीं मिला। हमले के कोई संकेत नहीं मिले। मनोज राम और बबलू का बयान घटनास्थल के पास नहीं लिया गया था।

20. अभि०ग०.-11 राम नगीना पासवान जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मामले को सच और दूसरों पर हुई घटना को झूठा पाए जाने के बाद अरुण राम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी का बयान नहीं लिया और न ही घटना स्थल पर गए।

21. अभि.सं.-13 शशि कुमार राम कोधी थाना में 13.03.2014 पर तैनात थे। उन्होंने कहा है कि *पोस्टमार्टम* डायरी में दर्ज किया गया था। उन्होंने 05.06.2014 को *पोस्टमार्टम* प्राप्त किया।

22. हमने पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़ा विरोधाभास है। हालाँकि, मुखबिर ने 11 व्यक्तियों के नाम

फर्दब्यान बताए हैं। अदालत के समक्ष बयान देते समय, उन्होंने चिंटू राम और वर्तमान अपीलार्थी सहित केवल दो व्यक्तियों का नाम दिया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्राथमिकी में सूचना देने वाले ने प्रकाश राम के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसने हत्या का आदेश दिया था, जबकि अदालत के समक्ष उसने कहा है कि चिंटू राम ने हत्या का आदेश दिया था और उसके बाद वर्तमान अपीलकर्ता ने गोली चला दी थी।

22.1.यह आगे खुलासा करेगा कि, *फ़र्दब्यान* में, उसने कहा है कि उसने दो अन्य व्यक्तियों यानी उसके ससुर और एक पुत्र जौनसन के साथ इस घटना को देखा था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने एक अन्य पुत्र रौशन और एक किरायेदार मोहम्मद अमीन अंसारी को पेश किया है, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में। हालांकि, उपरोक्त गवाहों के बयान से यह कहा जा सकता है कि वे घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचे और वास्तव में, उन्होंने प्रश्नगत घटना कोनहीं देखा है। इसके अलावा, स्वतंत्र गवाह अभि०ग०-14 पप्पू कुमार@पप्पू कुमार ने कहा है कि उन्होंने चौराहे से घटना को देखा था। हालाँकि, उसने आरोपी/अपीलार्थी को घटना स्थल पर नहीं देखा है। उन्होंने विशेष रूप से जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि उपेंद्र राम के परिवार के सदस्य उस स्थान पर आए हैं। हालांकि, किसी ने भी हमलावरों के नाम का खुलासा नहीं किया है।

23. यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। इसी तरह, यह माना जाता है कि अज्ञात व्यक्ति ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। हालाँकि, उक्त जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन डायरी में दर्ज नहीं की गई थी और उक्त जानकारी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख में नहीं लाया गया था। इसके अलावा, जांच अधिकारी के बयान से यह पता चलता है कि हालांकि उसने कहा है कि खून से सना हुआ मिट्टी पाया गया था, लेकिन उसने खून से सना हुआ मिट्टी एकत्र नहीं किया और न ही उसने केस डायरी में कोई संदर्भ दिया है। यहां तक कि जिस पिस्तौल का कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा उपयोग किया गया था, उसे भी जांच एजेंसी द्वारा जब्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, जांच अधिकारी को घटना स्थल पर कोई खाली कारतूस नहीं मिला है और न ही उन्हें अलाव का कोई संकेत मिला है, हालांकि वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे थे। यह बचाव पक्ष का एक विशिष्ट मामला है कि घटना का स्थान अलग है यानी चौराहा, अभि०गवा-14 पप्पू राम उर्फ पप्पु कूमार द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, जो एक स्वतंत्र गवाह है।

24. इस स्तर पर, हम इसका भी उल्लेख करना चाहेंगे। **मोदी 'द्वारा ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी' के सत्ताईसवें संस्करण से प्रासंगिक**

टिप्पणी। जयसिंह पी. मोदी, द्वारा विशेष रूप से, उसी के **पृष्ठ संख्या 724 में 25.7.1** संलग्न है, जिसमें यह कहा गया है किः

> **" 25.7 .1.1 आग्नेशास्त्र की दूरी -**
>
> यदि किसी आग्नेयास्त्र को शरीर के बहुत करीब या वास्तविक संपर्क में छोड़ा जाता है, तो प्रवेश द्वार के घाव के आसपास दो या तीन इंच के क्षेत्र में त्वचीय ऊतकों को घाव हो जाता है और आसपास की त्वचा को आमतौर पर धुएं से जल जाता है और काला कर दिया जाता है और बिना जले हुए/आंशिक रूप से जले हुए बारूद या धुआं रहित प्रणोदक पाउडर के साथ टैटू बना जाता है। .

25. इस स्तर पर, हम उस डॉक्टर के बयान को संदर्भित करना चाहेंगे जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। अभि०ग०-9 (डॉक्टर) ने कहा हैः.

> "1 से. मी. **x** 1 से. मी. आकार का कपाल गुहा आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव टी. कशेरुका से 7 से. मी. ऊपर मध्य रेखा के पास निचले पश्चवर्ती क्षेत्र के बाईं ओर गहरा और 3 से. मी. उल्टा और टैटू के साथ अनियमित मार्जिन के साथ मध्य रेखा के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रवेश घाव को दाहिने पार्श्विक क्षेत्र से मंडाइल के दाहिने कोण तक 15 सेमी **x** 08 सेमी **x** कपाल गुहा के आकार के निकास घाव के साथ संचारित किया जाता है। बाहर निकलने वाले घाव का निशान अनियमित, नुकीला और नरम ऊतक और मस्तिष्क के ऊतकों के बहिष्करण के साथ दूषित होता है। प्रवेश घाव से प्रक्षेप्य का पथ रास्ता अंदर की ओर, आगे और ऊपर की ओर दाहिने परिएटो-टेम्पोरल क्षेत्र की ओर होता है। ."

25.1.इस प्रकार, डॉक्टर द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि डॉक्टर ने यह नहीं देखा है कि प्रवेश द्वार के घाव की आसपास की त्वचा घाव के आसपास की त्वचा क्षत- विक्षत झुलसी और काली हो गई है। धुँआ और बारूद के जले हुए/ आंशिक रूप से जले हुए के साथर टैटू बना हो। इस प्रकार **मोदी, 'ए' की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए। मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी** की पाठ्यपुस्तक चिकित्सक के उपरोक्त अवलोकन की जांच की जाती है। यह कहा जा सकता है कि मृतक को बहुत करीब से गोली नहीं लगी थी।

25.2.इस स्तर पर, यदि तथाकथित चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए बयान की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि यह चश्मदीद गवाह का एक विशिष्ट मामला है कि अपीलकर्ता/आरोपी ने सूचना देने वाले के पति को उसके बाएं कनपटी के पास गोली मार दी, जिसके कारण वह गिर गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि चिकित्सा साक्ष्य सूचना देने वाले द्वारा दिए गए वर्णन का समर्थन नहीं करता है।

26. इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करते समय, आरोपी से सवाल पूछा गया था

कि आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि प्रकाश राम ने उपेंद्र राम को मारने का आदेश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप, अरुण राम (अपीलकर्ता) ने उसे उसकी कनपटी पर गोली मार दी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत के समक्ष बयान देते समय, मुखबिर ने विशेष रूप से कहा है कि वह चिंटू राम और अरुण राम सहित दो व्यक्तियों को पहचान सकती है और चिटूं राम जिन्हें उपेंद्र राम को मारने के लिए कहा गया था और इसलिए, अरुण राम यानी अपीलार्थी ने अपने पति को उसके वांयी कनपटी के पास पिस्तौल से गोली मार दी।

27. इस स्तर पर, हम **राजा राम (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें इसे **पैरा-9** में निम्नानुसार कहा गया हैः

> *9. लेकिन अभि०ग० 8 डॉ. सुखदेव सिंह, जो एक अन्य पड़ोसी हैं, की गवाही को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि उन्होंने अभि०ग०. 5 को मृतक को यह विश्वास दिलाते हुए देखा कि जब तक वह अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दोष नहीं डालती, उसे अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निचली अदालत में लोक अभियोजक के लिए ऐसा नहीं हुआ कि वह केवल ज्ञात कारणों से अभि०ग० 8 को पक्षद्रोही गवाह के रूप में सुनने (एस. आई. सी. घोषित करने) के लिए अदालत की अनुमति ले। अब, जैसा कि है, अभि.ग०. 8 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है। अभि०ग०. 8 की गवाही को कैसे दरकिनार किया जा सकता है, इसके बारे में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निश्चित रूप से कोई कारण, किसी भी अच्छे कारण से कम नहीं कहा गया है।*

28. **मुख्तियार अहमद अंसारी** के मामले में **(ऊपर)**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा 30 और 31** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> *"30. राजा राम बनाम राजस्थान राज्य [(2005) 5 एस. सी. सी. 272 जेटी (2000) 7 एससी 549 में इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आयाः उस मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जाँच किए गए डॉक्टर के साक्ष्य से पता चला कि मृतक को एक के द्वारा कहा जा रहा था कि उसे आरोपी को फंसाना चाहिए या फिर उसे अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर को "पक्षद्रोही" घोषित नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष के लिए डॉक्टर के साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है और यह अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है।*
>
> *31. वर्तमान मामले में, अभि०ग० 1 वेद प्रकाश गोयल के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष की उत्पत्ति को नष्ट कर दिया कि उन्होंने अपनी मारुति कार पुलिस को दी थी जिसमें पुलिस बहाई मंदिर गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था। जब गोयल ने उस मामले का समर्थन नहीं किया, तो आरोपी उस सबूत पर भरोसा कर सकता है। .*

29. **विरेन्द्र (उपर्युक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-7** में निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

> *"7. दोनों अदालतों ने बचाव पक्ष पर बोझ डाल दिया। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को या तो उदासीन गवाहों के रूप में या अप्रासंगिक साक्ष्य के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। हम ध्यान दे सकते हैं कि ये सभी अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिनके साथ पक्षद्रोही नहीं किया गया था। अभि०ग०. 10 के अलावा उनके साथ पक्षद्रोही करने या उनकी फिर से जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अभि०ग० 15 की उपस्थिति पर उन्हें कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था। ऐसे परिदृश्य में, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दिया गया बयान निश्चित रूप से उसके लाभ के लिए होगा। राजा राम बनाम राजस्थान राज्य, (2005) 5 एस. सी. सी. 272 में इस न्यायालय के निर्णय से हमारा दृष्टिकोण मजबूत होता है:(**ए आई आर ऑनलाइन 2000 एससी 474**):*
>
> *"9. लेकिन अभि०ग०.8 डॉ. सुखदेव सिंह, जो एक अन्य पड़ोसी हैं, की गवाही को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि उन्होंने अभि०ग० 5 को मृतक को यह विश्वास दिलाते हुए देखा है कि जब तक वह अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दोषारोपण नहीं डालती उसे अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निचली अदालत में लोक अभियोजक को अभि०ग० 8 को केवल ज्ञात कारणों से पक्षद्रोही गवाह के रूप में सुनने (एस. आई. सी. घोषित करने) के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब, जैसा कि है, अभि०ग०. 8 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है। अभि०ग० 8 की गवाही को कैसे दरकिनार किया जा सकता है, इसके बारे में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बिल्कुल कोई कारण नहीं कहा गया है, किसी भी अच्छे कारण से बहुत कम। "*
>
> *इसे जावेद मसूद बनाम राजस्थान राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 538 में दोहराया गया है:(**ए आई आर 2010 एस सी 979**)*
>
> *"20. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने कभी भी अभि०ग० 6,18,29 और 30 को "पक्षद्रोही" घोषित नहीं किया। उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते थे। इसके बजाय, इसने रक्षा का समर्थन किया। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बचाव पक्ष को अपने साक्ष्य पर भरोसा करने से रोकता हो। .*
>
> *अपीलार्थी से बरामदगी पर भरोसा किया गया था। तथ्य यह है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि केवल एक गोली चलाई गई थी जिसे अभि०ग० 15 के साक्ष्य से भी देखा जा सकता था। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का आकलन करते समय, अदालतों ने उन्हें इस तथ्य की सराहना किए बिना खारिज कर दिया कि इसे केवल संभावना की डिग्री पर देखा जाना चाहिए। .*

30. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि ऊपर चर्चा किए गए वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद, निचली अदालत ने इसमें अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है।

31. 2014 के अत्री थाना केस नंबर 29 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 415/2015 (एस. जे.)/28/2017 में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, प्रथम गया द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय दिनांक 25.04.2017 और सजा का आदेश दिनांक 03.05.2017 रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी, अर्थात् अरुण राम को विद्वत निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

32. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।